173

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2400-एक/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-10-2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 408/99-2000 अपील

1- अशोक कुमार 2- बृजेन्द्र कुमार
3- राजकुमार 4- रजनीश कुमार
पुत्रगण लल्लूप्रसाद शाहवाल
5- लल्लूप्रसाद 6- लक्ष्मीप्रसाद
पुत्रगण रामकुमार शाहवाल
सभी ग्राम रजमिलाल तहसील सिंगरोली
7- श्रीमती सुभद्रा पत्नि भगवान दास पुत्री रामकुमार
ग्राम चौरा तहसील सिंगरोली जिला सीधी
8- श्रीमती दुबनी देवी पत्नि शंखलाल साहू पुत्री
रामकुमार निवासी ग्राम माजन तहसील सिंगरोली ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- बबूल पुत्र तोकल साहू 2- अनूपलाल
3- राजकुमार 4- बालकुमार 5- कलानिधि
6- शशिकाप्रसाद पुत्रगण हीरालाल
7- बृजलाल पुत्र सुखराज सहू
8- नारायणदास 9- राजेन्द्र कुमार 10- भगवानदास
11- जगदीशप्रसाद पुत्र सभी पुत्रगण शिवलाल
12- बल्देव (फोत) पुत्र लल्ला प्रसाद वारिस
अ- दिलसुआ पत्नि स्व. बल्देव
ब- संतोष अवयस्क स- गोतम अवयस्क
द- मुनिका अवयस्क पुत्र/पुत्री स्व. बल्देव
संरक्षक माता दिलसुआ पत्नि स्व. बल्देव
सभी ग्राम बेलवार तहसील सिंगरोली जिला सीधी

कृ0 पृ0 उ0 -2

13- छोटेलाल पुत्र लल्ला प्रसाद साहू
सभी ग्राम रजमिलान तहसील सिगरोली
14- सुश्री अकमनिया पुत्री लल्लाप्रसाद साहू
ग्राम कुठहई तहसील सिंगरोली जिला सीधी
15- श्रीमती हीरामन पत्नि सुमेर साहू पुत्री लल्लाप्रसाद
ग्राम खट्खरी तहसील सिंगरोली जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

(अना.क्र.15 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 408/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अधीक्षक भू अभिलेख सीधी ने प्रकरण कमांक 248 अ-6/1990-91 में पारित आदेश दिनॉक 4-3-1996 से विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम रजमिलान की भूमि खसरा कमांक 51 रकबा 2.886 के हिस्सा 1/3 पर विकेता लल्ला, बबुल पुत्र तौकल के बजाय रामकुमार पुत्र महेश्वर प्रसाद सहवाल के नाम नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध उपखंड अधिकारी सिंगरोली के समक्ष बबूल पुत्र तौकल साहू ने अपील प्रस्तुत की। उपखंड अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 102/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2000 से अपील स्वीकार की एंव अधीक्षक भू अभिलेख सीधी का आदेश दिनॉक 4-3-1996 निरस्तं करते हुये भूमि पटवारी अभिलेख में 4-3-1996 के पूर्व की स्थिति में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 408/99-2000 अपील में

पारित आदेश दिनांक 12-10-2001 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 15 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अधीक्षक भू अभिलेख सीधी का आदेश दिनॉक 4-3-1996 है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अवधि वाधित अपील की गई थी परन्तु अपर आयुक्त ने इस पर विचार नहीं किया है। यदि अधीक्षक भू अभिलेख सीधी के आदेश दिनॉक 4-3-1996 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया है, तब विलम्ब को क्षमा किये जाने वाले दिये गये अंतरिम आदेश के विरूद्ध आवेदकगण को तत्समय निगरानी में चुनौती देना थी अथवा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तदाशय की आपत्ति प्रस्तुत करके विलम्ब के सम्बन्ध में समाधान कराना था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति न करने एंव विलम्ब क्षमा के अंतरिम आदेश को चुनौती न देने के कारण राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण में यह बिन्दु विचार कर विषय न होने से आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में दिये गये तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने , लेखी बहस के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि कि अधीक्षक भू अभिलेख सीधी ने प्रकरण क्रमांक 248 अ-6/1990-91 में पारित आदेश दिनॉक 4-3-1996 से ग्राम रजमिलान की भूमि खसरा क्रमांक 51 रकबा 2.886 के हिस्सा 1/3 पर विक्रेता लल्ला, बबुल पुत्र तौकल के बजाय रामकुमार पुत्र महेश्वर प्रसाद सहवाल के नाम नामान्तरण स्वीकार किया, किन्तु यह विक्रय पत्र दिनांक 6-7-1968 कच्ची टीप पर है जिसके 23 वर्ष वाद विक्रय पत्र को मुद्रॉकित घोषित कराना तथा विक्रय पत्र किसके द्वारा लिखा गया है स्पष्ट न होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 102/ 1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2000 से

अधीक्षक भू अभिलेख सीधी द्वारा की गई नामान्तरण कार्यवाही नियम विरुद्ध एंव नामान्तरण नियमों के विपरीत पाने के कारण निरस्त की है, जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 31-5-2000 में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली द्वारा आदेश दिनांक 31-5-2000 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक 12-10-2000 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 408/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-2001 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर